संख्या-11/2026/673/11-4099/52/2025

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

हाथरस।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त ,2026

विषयः राज्य कर विभाग उ0प्र0 के विभागीय कार्यालय भवन/आवासीय भवन निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-89/डी0एल0आर0सी0-2025 दिनांक 04.08.2025 एवं पत्र संख्या-533/डी0एल0आर0सी0-2026 दिनांक 06.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद हाथरस स्थित हाथरस देहात के खसरा संख्या 296 रकबा 7.981 हे0 भूमि में से 0.3000 हे0 (3000 वर्ग मीटर) नजूल भूमि को राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवन/आवासीय भवन निर्माण हेतु राज्य कर विभाग के पक्ष में आवंटन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 03.02.1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अपवादस्वरूप उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन जनपद हाथरस स्थित हाथरस देहात के खसरा संख्या 296 रकबा 7.981 हे0 भूमि में से 0.3000 हे0 (3000 वर्ग मीटर) नजूल भूमि को राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवन/आवासीय भवन निर्माण हेतु राज्य कर विभाग के पक्ष में प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त नजूल भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) उक्त हस्तान्तरित नजूल भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय, तो उसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से पुनः अनुमति प्राप्त करनी होगी।

.... 2 पर

https://shasanadesh.up.gov.in/

(3) प्रश्नगत नजूल भूमि तीन वर्षों तक प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाये जाने की दशा में उक्त भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को वापस करनी होगी।

(4) नजूल भूमि के उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण को भविष्य में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

(5) आवंटित नजूल भूमि का उपयोग केवल नियत प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।

(6) प्रभावी नियम/विनियमन/महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(7) उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में विचाराधीन वादों (यदि कोई हो) में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2026/673(1)/11-4099/52/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ।
4. आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 (सम्पत्ति अनुभाग), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव पूजन
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in/